राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2023 जयपुर, दिनांक: 22-01-2023

आज्ञा

आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में संशोधन

(I) इस विभाग की आज्ञा दिनांक 05.02.2022 द्वारा आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 दो वर्ष (1 अप्रेल, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक) के लिये जारी की गई है। नीति के बिन्दु संख्या (1) में यह प्रावधान किया गया है कि आबकारी ड्यूटी, ईडीपी, ईबीपी, एमआरपी, एमएसपी, लाईसेंस फीस एवं अन्य फीस आदि में संशोधन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(II) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022–23 व 2023–24 में किये गये उपर्युक्त प्रावधान के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नीति के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है:–

(i) आबकारी एवं मद्य संयम नीति के बिन्दु संख्या 2.7 में वर्ष 2022–23 के लिये मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2023–24 के लिये अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान मदिरा दुकानों के सफल बंदोबस्त हेतु आबकारी एवं मद्य संयम नीति में संशोधन कर दिनांक 25.04.2022 के बाद आयोजित ऑनलाईन नीलामी के माध्यम से आवंटित मदिरा दुकानों के लाईसेंसधारियों के लाईसेंस का वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण हेतु शर्तों का निर्धारण तत्समय राज्य सरकार द्वारा किये जाने तथा उन निर्धारित शर्तों पर लाईसेंस का नवीनीकरण कराना इन दुकानों के अनुज्ञाधारियों के लिये स्वैच्छिक होने संबंधी प्रावधान किया गया।

इस प्रकार दिनांक 25.04.2022 के बाद आवंटित मदिरा दुकानों के लाईसेंसधारियों के लाईसेंस का वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण हेतु शर्तों का निर्धारण कराया जाना है।

(ii) आबकारी एवं मद्य संयम नीति में मदिरा/बीयर निर्माताओं के लिये ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि की गई थी। नीति के जारी होने के बाद वैश्विक परिस्थितियों तथा केन्द्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के कारण मदिरा/बीयर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल यथा अनाज, स्प्रिट आदि की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही काँच व अन्य पैकिंग मैटेरियल की कीमतों व परिवहन लागत, मजदूरी आदि में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार उत्पादन लागत में वृद्धि के आधार पर मदिरा/बीयर निर्माताओं द्वारा ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि किये जाने की मांग की जा रही है। राज्य में मांग अनुसार मदिरा/बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मदिरा/बीयर निर्माताओं की मांग पर विचार कर ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

(iii) ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि से एमएसपी/एमआरपी में भी संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) आबकारी एवं मद्य संयम नीति में IMFL, BII व BIO तथा बीयर के लिये ड्यूटी की पृथक–पृथक दरें निर्धारित की गई हैं। नीति में IMFL व BII की निर्धारित आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को समरूप किये जाने तथा BIO के लिये निर्धारित लाईसेंस फीस को टेलीस्कोपिक अर्थात ईडीपी में वृद्धि के साथ ड्यूटी की राशि में भी वृद्धि सुनिश्चित किये जाने के लिये BII व BIO की ड्यूटी की दरों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

(v) फलों से निर्मित होने से फलों के गुणयुक्त वाईन के निर्माण से फल उत्पादक कृषकों को उनकी उपज के लिये बाजार व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है। वाईन में एल्कोहल की मात्रा कम होने से मद्य संयम की दृष्टि से भी यह कम हानिकारक है। इसके उत्पादन में पानी का उपयोग भी कम होता है, अतः पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अनुकूल है। इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भारत निर्मित तथा राजस्थान निर्मित वाईन पर निर्धारित ड्यूटी को कम किये जाने की आवश्यकता है।

(vi) राज्य में गर्मी के मौसम में बीयर की अत्यधिक मांग रहती है, जिसे पूरा करने के लिये राज्य में बीयर के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये नीति में बीयर उत्पादन इकाईयों की उत्पादन क्षमता के अनुसार अधिक उत्पादन पर बोटलिंग फीस में छूट का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के संबंध में निर्माता फर्मों से प्राप्त फीडबैक अनुसार संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही, बीयर की ईबीपी में वृद्धि के कारण एमआरपी में वृद्धि को कम रखने के लिये बीयर पर लागू अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में कमी किया जाना आवश्यक है।

(vii) नीति के बिन्दु संख्या 8.6 में बार अनुज्ञाधारियों के लिये किसी वर्ष में अपने बार लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने तथा लाईसेंस की अवधि समाप्त होने के 30 दिवस की अवधि में अपना अनुज्ञापत्र समर्पित नहीं करने पर भविष्य में कभी भी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की पूर्ण लाईसेंस फीस देने का प्रावधान है। गत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण बार अनुज्ञाधारियों को लाईसेंस फीस में 25 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई, परन्तु महामारी के प्रभाव के कारण जिन बार अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने लाईसेंस नवीनीकृत नहीं कराये गये उनके लिये नीति के इस प्रावधान के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। ऐसे अनुज्ञाधारियों को राहत प्रदान करने व राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत नीति के बिन्दु संख्या 8.6 में किये गये प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है।

(viii) पर्यटन व परम्परा के विकास की दृष्टि से राजस्थान हेरिटेज मदिरा की अपनी पहचान संभावना व मांग है। वर्तमान नीति में राजस्थान हेरिटेज मदिरा को खुदरा दुकानों की गारंटी में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार राजस्थान हेरिटेज मदिरा के उसकी संभावना के अनुरूप विकास के लिये इसे भी खुदरा दुकानों की गांरटी में शामिल किये जाने तथा इसकी लेबल अप्रूवल फीस में कमी किये जाने की आवश्यकता है।

(ix) नीति के बिन्दु संख्या 2.15 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति वार्षिक लाईसेंस फीस के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है। मदिरा दुकानों के सफल बंदोबस्त हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके परिसर के अलावा भी रिटेल ऑफ दुकानों के संचालन की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता है।

(x) नीति के बिन्दु संख्या 2.17 में सीमा सुरक्षा बल के अनुरूप रिटेल ऑफ लाईसेंस व आबकारी ड्यूटी में रियायत की सुविधा भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की राज्य में स्थित यूनिट्स को प्रदान की गई है। राज्य में आईटीबीपी के साथ ही सीआरपीएफ आदि अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की यूनिट्स भी स्थित हैं, अतः आईटीबीपी के स्थान पर CAPF की यूनिट्स को बीएसएफ के समान सुविधा प्रदान करने हेतु नीति में संशोधन की आश्यकता है।

(xi) वर्तमान में आईएमएफएल के निर्माण हेतु मोलासिस आधारित ई.एन.ए. आयात अनुमत नहीं है। आईएमएफएल के अन्तर्गत रम श्रेणी की अच्छी गुणवत्ता की मदिरा निर्माण के लिये

मोलासिस आधारित ई.एन.ए. की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिये नीति में प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

(xii) देशी मदिरा/आईएमएफएल की छीजत (Wastage) के संबंध में वर्तमान में उत्पादन से आपूर्ति तक विभिन्न स्टेजेज में पृथक–पृथक क्षति मानदण्ड निर्धारित हैं। प्रक्रिया में सरलीकरण की दृष्टि से अलग–अलग स्टेजेज के स्थान पर पूर्ण प्रक्रिया में अधिकतम क्षति के लिये मानदण्ड निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

(xiii) इसी प्रकार प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ऑटोमेशन व प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से नीतिगत प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

(xiv) इसके अतिरिक्त, स्टेक होल्डर्स की सुविधा तथा नीति के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता हेतु आबकारी एवं मद्य संयम नीति के कतिपय बिन्दुओं को और अधिक स्पष्ट किये जाने या उनमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

(III) उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 05.02.2022 द्वारा जारी की गई आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022–23 व 2023–24 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) **मदिरा की खुदरा दुकानों का बंदोबस्तः**

(i) विभागीय समसंख्यक आज्ञा दिनांक 22.04.2022 की अनुपालना में जिन मदिरा दुकानों का बन्दोबस्त 25.04.2022 के बाद आयोजित नीलामी द्वारा हुआ है, उनके अनुज्ञापत्रों के वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण तथा बंदोबस्त हेतु नीति के बिन्दु संख्या 2.7.4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाता है:–

2.7.5– दिनांक 25.04.2022 के बाद आयोजित नीलामी द्वारा आवंटित मदिरा दुकानों के वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण व बंदोबस्त की शर्तें व प्रक्रियाः

2.7.5.1– इन दुकानों के अनुज्ञापत्रों के वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण हेतु संबंधित दुकान की वर्ष 2022–23 की **वार्षिक गारंटी राशि** अथवा **मदिरा के वास्तविक उठाव की एन्युअलाईज्ड राशि**, जो भी अधिक हो, में बिन्दु संख्या 2.7.5.2 में दिये गये विवरण अनुसार वृद्धि करते हुए वर्ष 2023–24 के लिये वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित की जायेगी, परन्तु यह गारंटी राशि वर्ष 2021–22 की संबंधित मदिरा दुकान की वास्तविक मदिरा उठाव की राशि से कम नहीं होगी।

2.7.5.2– नवीनीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम संबंधित दुकान की वर्ष 2022–23 के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि तथा संचालन अवधि में मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि के आधार पर आनुपातिक रूप से गणना कर 12 माह के लिये दुकान की वार्षिक गारंटी राशि तथा मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि आंकलित की जावेगी। उपरोक्तनुसार आंकलित राशि में से जो भी राशि अधिक हो, उसकी तुलना संबंधित दुकान की वर्ष 2022–23 के लिये निर्धारित प्रारंभिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस से की जाकर प्रतिशत कमी की गणना की जावेगी। इस प्रकार दुकान की आकलित (Calculated) वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की एन्युअलाईज्ड राशि, जो भी अधिक हो, में दुकान की प्रारंभिक आरक्षित राशि से प्रतिशत कमी के 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उस दुकान की वर्ष

2023–24 के लिये वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित की जाएगी, परन्तु वर्ष 2022–23 के लिये आकलित (Calculated) वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की एन्युअलाईज्ड राशि, जो भी अधिक हो, में यह वृद्धि न्यूनतम 20 प्रतिशत की होगी।

उदाहरण के लिये– किसी दुकान की वर्ष 2022–23 के लिये प्रारंभिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस 1 करोड़ रूपये निर्धारित की गई। 1 अप्रेल, 2022 तक इस दुकान का बंदोबस्त नहीं होने के कारण न्यूनतम रिजर्व प्राईस में कमी कर दुकान का बंदोबस्त 28 अप्रेल, 2022 को अधिकतम बिड राशि रूपये 60 लाख पर हुआ। इस प्रकार इस दुकान की वर्ष 2022–23 में 11.07 माह के लिये राशि रूपये 60 लाख की वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित हुई तथा निर्धारित गारंटी राशि के अनुसार ही प्रतिमाह मदिरा का उठाव किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण हेतु सर्वप्रथम दुकान की 12 माह के लिये वार्षिक गारंटी राशि की गणना की जाएगी। इस दुकान की वर्ष 2022–23 के लिये आकलित वार्षिक गारंटी राशि रूपये 60 / 11.07 X12=65.04 लाख होगी, जो प्रारंभिक आरक्षित राशि से राशि रूपये 34.96 लाख अर्थात 34.96 प्रतिशत कम है। चूँकि मदिरा का वास्तविक उठाव गारंटी राशि के समान ही है, अतः इस दुकान की वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण हेतु वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण दुकान की वर्ष 2022–23 के लिये आकलित वार्षिक गारंटी राशि तथा मदिरा के वास्तविक उठाव की एन्युअलाईज्ड राशि में 20 प्रतिशत (दुकान की प्रारंभिक रिजर्व प्राईस में कमी 34.96 प्रतिशत है जिसका 50 प्रतिशत 17.48 होता है जो 20 प्रतिशत से कम है) की वृद्धि करते हुए 78.05 लाख रूपये किया जाएगा।

एन्युअलाईज्ड मदिरा उठाव की गणना माह दिसम्बर, 2022 तक के वास्तविक मदिरा उठाव के आधार पर की जाएगी। दुकान की प्रारंभिक आरक्षित राशि से तात्पर्य वह राशि है, जो उस दुकान के वर्ष 2022–23 के लिये नवीनीकरण या प्रथम बार नीलामी हेतु निर्धारित की गई थी।

2.7.5.3– इन दुकानों के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय त्रैमास तक की निर्धारित गारंटी पूर्ति कर ली हो तथा वार्षिक लाईसेंस फीस की पूर्ण राशि जमा या समायोजित करा दी हो, वे ही नवीनीकरण के लिये पात्र होंगे।

2.7.5.4– पात्र अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ नीति के बिन्दु संख्या 2.5.3 की तालिका में वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित नवीनीकरण फीस तथा बिन्दु संख्या 2.12 के अनुसार निर्धारित धरोहर राशि जमा कराई जाएगी। बिन्दु संख्या 2.5.3 की तालिका के कॉलम संख्या 1 में वर्ष 2021–22 के स्थान पर वर्ष 2022–23 पढ़ा जावेगा।

2.7.5.5– नवीनीकरण से शेष रही दुकानों की नीलामी हेतु आरक्षित राशि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित दुकान की वर्ष 2022–23 की वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा उठाव की एन्युअलाईज्ड राशि, जो भी अधिक हो, को उपरोक्त बिन्दु संख्या 2.7.5.2 में दिये गये विवरण के अनुसार बढ़ाकर किया जाएगा।

(ii) वर्ष 2022–23 के अधिक से अधिक अनुज्ञाधारी वर्ष 2023–24 के लिये अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु पात्र हो सकें इसके लिये वर्ष 2022–23 के दुकानों के अनुज्ञाधारियों को तृतीय त्रैमास तक की निर्धारित गारंटी पूर्ति या वार्षिक लाईसेंस फीस की बकाया राशि

नियमानुसार ब्याज सहित दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक नकद जमा कराने या मदिरा का उठाव करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार बकाया पेटे मदिरा के उठाव की राशि को दिसम्बर, 2022 तक की मदिरा के वास्तविक उठाव की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) वर्ष 2023–24 के लिये मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, धरोहर राशि जमा कराने, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि जमा कराने तथा वार्षिक लाईसेंस फीस की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने आदि तिथियों का निर्धारण/पुनर्निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से किया जायेगा।

(iv) बिन्दु संख्या 2.1, 2.6.8.1, 2.6.8.4, 2.9.2 तथा 2.9.4 में अंकित **"भारत निर्मित विदेशी मदिरा"** में हेरिटेज मदिरा भी शामिल है अर्थात् मदिरा दुकान के लाईसेंसधारी द्वारा हेरिटेज मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी IMFL की गारंटी पूर्ति में गणना योग्य होगी।

(v) नीति के बिन्दु संख्या 2.9.11.2 के प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:–

2.9.11.2– नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 हेतु जमा कराई गई अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का क्रमशः वर्ष 2022–23 व 2023–24 की अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि के पेटे समायोजन कराया जा सकेगा अथवा इस 5 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का संबंधित वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर से माह मार्च में निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में समायोजन किया जा सकेगा।"

(vi) बिन्दु संख्या 2.15 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम को रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति दिये जाने हेतु **"उनके उपलब्ध परिसर में"** शर्त को विलोपित किया जाता है।

(vii) बिन्दु संख्या 2.17 में **"भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)"** के स्थान पर **"केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) **देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा:**

(i) बिन्दु संख्या 3.3 के प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:–

3.3– 40, 50 एवं 60 यू.पी. की देशी मदिरा तथा 25 यू.पी. राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) की आपूर्ति सभी धारिताओं में ग्लास, पेट पात्र तथा एसेप्टिक पैक में अनुमत होगी।

(ii) बिन्दु संख्या 3.10.2 में शोधित प्रासव (Rectified Spirit) आधारित देशी मदिरा एवं ई.एन.ए. आधारित राजस्थान निर्मित मदिरा के थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण किया गया है। इसके आधार पर वर्ष 2022–23 हेतु 40 यू.पी, 50 यू.पी एवं 60 यू.पी. ई.एन.ए (Extra Neutral Alcohol) आधारित देशी मदिरा के पेट पव्वों के एक कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 515/–, 478/– एवं 330/– तथा 40 यू.पी. ग्लास पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य 585/– रूपये निर्धारित है। इसी प्रकार 40 यू.पी. 50 यू.पी व 60 यू.पी. एसेप्टिक पैक के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 550/–, 480/– एवं 330/– निर्धारित है।

(iii) देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा के थोक निर्गम मूल्य को संशोधित कर 40 यू.पी. देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा के ग्लास पव्वों के लिये 40/– रूपये प्रति कार्टन तथा अन्य के लिये 30/–. रूपये प्रति कार्टन की वृद्धि करते हुए वर्ष 2023–24 के लिये थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र. सं	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक पैक
देशी मदिरा (ईएनए)				
1.	40 यू.पी.	605	545	580
2.	50 यू.पी.	—	508	510
3.	60 यू.पी.	—	360	360
राजस्थान निर्मित मदिरा				
1.	25 यू.पी.	710	630	690

(iv) देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा के थोक निर्गम मूल्य में वृद्धि के कारण वर्ष 2023–24 के लिये 180 एमएल निप्स का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर मूल्य निम्नानुसार पुनः निर्धारित किया जाता है:–

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार (ईएनए निर्मित)	न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य
1.	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	52	62
2.	देशी मदिरा 40 यूपी पेट पात्र	50	60
3.	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पैक	51	62
4.	देशी मदिरा 50 यूपी पेट पात्र	45	54
5.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	72	87
6.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पेट पात्र	70	84
7.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पैक	72	86

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा IMFL/BII/BIO/Beer/Wine/RTD

(i) बिन्दु संख्या 4.1(b),(c) व (d) को संशोधित करते हुए वर्ष 2023–24 के लिये BII व बीयर की आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी तथा BIO पर लाईसेंस फीस व रिटेलर मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

(b) BII Duty Slab:

एक्स डिस्टलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (%)	रिटेलर मार्जिन (ईडीपी का प्रतिशत)
5000 तक	330	49	69
5000 से अधिक 8000 तक	370	49	58
8000 से अधिक 10000 तक	371	49	45
10000 से अधिक	372	49	40

(c) **BIO Duty Slab:**

बेसिक प्राईस (रुपये में)	लाईसेन्स फीस (ad-valorem of Basic Price + Import Fee %)	रिटेलर मार्जिन (बेसिक प्राईस का प्रतिशत)
3100 तक	75	54
3100 से अधिक 6000 तक	70 (न्यूनतम रूपये 2325)	52
6000 से अधिक 8000 तक	55 (न्यूनतम रूपये 4200)	47
8000 से अधिक 50000 तक	45 (न्यूनतम रूपये 4400)	47
50000 से अधिक	40 (न्यूनतम रूपये 22500)	47
वाईन	40	BIO की स्लैब के अनुसार

(d) **Beer Duty Slab:**

एक्स ब्रेवरी मूल्य (EBP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क (ad-valorem)	अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (%)	रिटेलर मार्जिन (ईबीपी का प्रतिशत)
स्ट्रोंग बीयर (5 प्रतिशत से अधिक स्ट्रेन्थ)			
330 तक	156 प्रतिशत	22	84
330 से अधिक	156 प्रतिशत	11	79
माईल्ड बीयर (5 प्रतिशत तक स्ट्रेन्थ)			
440 तक	156 प्रतिशत	05	79
440 से अधिक	156 प्रतिशत	07	82

(ii) बिन्दु संख्या 4.1(e) को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 से भारत निर्मित वाईन तथा राजस्थान निर्मित वाईन को अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी से मुक्त किया जाता है।

(iii) बिन्दु संख्या 4.7 द्वारा निर्धारित ईडीपी, ईबीपी में संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा (BII सहित) तथा बीयर पर 40 रूपये प्रति केस की वृद्धि अनुमत की जाती है।

(iv) नीति के बिन्दु संख्या 4.8.2 के प्रावधान को संशोधित कर वर्ष 2023–24 के लिये निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:–

4.8.2– बीयर निर्माण इकाईयों को विगत 3 वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक उत्पादन अथवा वर्ष 2022–23 के उत्पादन, जो भी अधिक हो, से अधिक उत्पादित एवं राजस्थान में विक्रय के लिये आरएसबीसीएल को आपूर्ति की गई बीयर पर बोटलिंग फीस में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:–

क्र. सं.	उपरोक्तानुसार आरएसबीसीएल को आपूर्ति की गई बीयर की अतिरिक्त मात्रा	बोटलिंग फीस में छूट (प्रति बल्क लीटर)
1.	115 प्रतिशत तक	शून्य
2.	115 प्रतिशत से अधिक तथा 125 प्रतिशत तक की मात्रा	1 रूपया
3.	125 प्रतिशत से अधिक मात्रा	2 रूपये

उदाहरण के लिए–किसी बीयर निर्माता फर्म द्वारा वर्ष 2023–24 में गत 3 वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक उत्पादन अथवा वर्ष 2022–23 के उत्पादन, जो भी अधिक हो, से 130 प्रतिशत बीयर उत्पादित कर आरएसबीसीएल को राज्य में विक्रय हेतु आपूर्ति की जाती है तो उस फर्म को 115 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक अधिक आपूर्ति की गई बीयर की मात्रा पर 1 रूपया प्रति बल्क लीटर तथा 125 प्रतिशत से 130 प्रतिशत तक अधिक आपूर्ति की मात्रा पर 2 रूपये प्रति बल्क लीटर की छूट देय होगी।

(v) नीति के बिन्दु संख्या 4.10 के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:–

4.11– भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) के अंतर्गत "रम" श्रेणी की मदिरा के निर्माण हेतु मोलासिस आधारित ई.एन.ए. अन्य राज्यों से आयात किया जाना अनुमत होगा।

(4) रिटेल ऑन (Retail-On): होटल/क्लब/रेस्टोरेंट बार

(i) नीति के बिन्दु संख्या 8.4.2 के पश्चात निम्नानुसार नये प्रावधान जोड़े जाते हैं:–

8.4.3–होटल बार/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारी, जिनके विरूद्ध वित्तीय वर्ष में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं हो, को नवीनीकरण राशि जमा कराये जाने पर स्वतः नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

8.4.4–होटल/रेस्टोरेंट के विरूद्ध आबकारी नियमों के अन्तर्गत तीसरी बार आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर उसे बार अनुज्ञापत्र के लिये अपात्र माना जाएगा।

8.4.5– बार के नये लाईसेंस के लिये प्रारंभिक लाईसेंस फीस की 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर ऑनलाईन आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा Self Disclaimer के साथ किया जायेगा। आवेदन के 21 दिवस की अवधि में उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में लाईसेंस का Deemed Approval माना जावेगा।

8.4.6– नए बार लाईसेंस की प्रारंभिक फीस का निर्धारण त्रैमासिक होगा अर्थात् वार्षिक फीस को 4 बराबर भागों में विभाजित कर त्रैमासिक फीस निर्धारित होगी तथा वित्तीय वर्ष के जिस त्रैमास में बार लाईसेंस के लिए आवेदन किया गया है उस त्रैमास व वित्तीय वर्ष में उसके बाद के शेष त्रैमासों की प्रारंभिक फीस का भुगतान लाईसेंसधारी द्वारा किया जावेगा। नीति के बिन्दु संख्या 8.1 व 8.2 को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

(ii) नीति के बिन्दु संख्या 8.6 के प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:–

8.6– बार अनुज्ञापत्र धारी के लिए वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा अन्यथा आगामी तीस दिन के भीतर अपना अनुज्ञापत्र विभाग को समर्पित करना होगा। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अपना अनुज्ञापत्र समर्पित नहीं करने पर उसे भविष्य में कभी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की 25 प्रतिशत अनुज्ञा फीस देनी होगी। समय पर

समर्पित कराये गये अनुज्ञाधारी द्वारा नवीन अनुज्ञापत्र की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार नया अनुज्ञापत्र जारी कराया जा सकेगा।

(iii) नीति के बिन्दु संख्या 8.6 के पश्चात निम्नानुसार नया प्रावधान जोड़ा जाता है:–

8.7– ऑकेजनल लाईसेंस की लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	लाईसेंस का प्रकार	पंजीकरण फीस वार्षिक (रूपये में)	प्रतिदिन लाईसेंस फीस (रूपये में)
1.	रजिस्टर्ड कॉमर्शियल स्थान/होटल बार अनुज्ञाधारी	20000	12000
2.	निजी निवास पर	–	2000

(5) **विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण:**

नीति के बिन्दु संख्या 10 में विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण के तहत निम्न प्रक्रियाओं को भी सरलीकृत/ऑनलाईन किया जावेगा:–

रिटेल अनुज्ञाधारी	• अनुज्ञाधारियों की बकाया धरोहर राशि एवं ईपीए रिफण्ड को सरलीकृत करने के लिए रिफण्ड प्रार्थना–पत्र ऑनलाईन स्वीकृत करने का प्रावधान किया जायेगा।
उत्पादन इकाईयों के संबंध में	• शनिवार एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी प्रयोगशालाओं को चालू रखा जायेगा। • एनएबीएल एक्रेडिटेड निजी प्रयोशालाओं को सैम्पल्स टेस्टिंग हेतु अधिकृत किया जायेगा। • ऑनलाईन रिसिप्ट दर्ज करते ही EVC डिजिटल सिग्नेचर से 7 दिवस में जारी की जायेगी। • वर्तमान में राज्य में डिस्टिलरी, ब्रेवरी व वाईनरी की स्थापना के लिये कई चरणों में स्वीकृति लिये जाने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर एनओसी जारी किये जाने के प्रावधान को विलोपित कर डिस्टिलरी, ब्रेवरी व वाईनरी की स्थापना हेतु प्रथम चरण में Self Disclaimer पर निर्धारित फीस जमा करवा कर पंजीकरण कराने तथा द्वितीय चरण में नियमानुसार प्रक्रियाएं पूर्ण कर अंनुज्ञापत्र जारी कराये जाने की व्यवस्था की जाएगी। • भारत निर्मित वाईन तथा राजस्थान हेरिटेज मदिरा पर लेबल अनुमोदन फीस रूपये 25,000 से घटाकर रूपये 10,000 की जाती है। • राज्य में आईएमएफएल/बीयर निर्माण इकाईयों के निर्यात हेतु किये गये उत्पादन के लेबल अनुमोदन फीस को रूपये 50,000 किया जाता है। • आईएमएफएल/देशी मदिरा के उत्पादन से आपूर्ति तक विभिन्न स्टेजेज में प्रदत्त पृथक–पृथक क्षति मानदण्ड के स्थान पर अधिकतम कुल 1 प्रतिशत छीजत अनुमत किये जाने का प्रावधान किया जाता है। • जिन बीयर आपूर्तिकर्ताओं का विगत वर्ष में राज्य की कुल बीयर विक्रय में 10 प्रतिशत से कम हिस्सा रहा है, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में उनकी गत वर्ष की बीयर विक्रय में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर, राज्य में विक्रय हेतु स्टॉक सुरक्षित रखते हुए इससे अधिक उत्पादित बीयर का निर्यात अनुमत होगा।
ऑकेजनल लाईसेंस	• ऑकेजनल बार लाईसेंस एवं रेजीडेन्स ऑकेजनल लाईसेंस को पूर्णतः ऑनलाईन एवं ऑटोमैटेड किया जायेगा।

(6) **मद्य संयम के संबंध में नीतिगत निर्देश:**

आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 15(i) में वर्णित प्रावधान के अंत में निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:–

राज्य में एयरपोर्ट शॉप के संचालन (खुलने व बंद होने) का समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।

(7) **अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिये उत्तरदायित्व एवं प्रबोधनः**

नीति के बिन्दु संख्या 17.2 में क्रम संख्या (vii) के बाद निम्नानुसार क्रम संख्या (viii) जोड़ा जाता हैः—

(viii) संबंधित क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक।

(IV) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में किये गये उपर्युक्त संशोधित प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रेल, 2023 से होगा, परन्तु आबकारी बंदोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस संबंधित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023—24 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जाना आवश्यक होती है। अतः तद्नुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रेल, 2023 से पूर्व सम्पादित होगी।

(V) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या आबकारी से संबंधित अन्य विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप नियमों तक है, उनका संबंधित विधियों/नियमों/उप नियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जायेगा।

(VI) इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी बंदोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आबकारी मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
7. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नीति में सम्मिलित निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होने पर उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश के साथ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. समस्त जिला क्लेक्टर्स, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
14. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग